न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

छोटेलाल बनाम सुल्तान

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/03/2024

03.01.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री अशोक पटेल द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान आराजी खसरा संख्या 170/1473/0.05, 181/0.02, 191/0.11, 195/1474/0.02, 220/0.01, 221/0.05, 258/1475/0.11, 994/1476/0.09, वाके ग्राम कुण्डला तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी उपयोग–उपभोग, फसल बोने जोतने काटने सिंचाई करने आदि कुल कार्याकाश्त में प्रार्थी को किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा न करें तथा ना ही प्रार्थी को बेदखल कर जबरन कब्जा करे एवं ना ही उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण दीवार एवं झगडा फिसाद न करें। अन्त में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नही है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित खसरा संख्या 170/1473/0.05, 181/0.02, 191/0.11, 195/1474/0.02, 220/0.01, 221/0.05, 258/1475/0.11, 994/1476/0.09, वाके ग्राम कुण्डला तहसील टहला जिला अलवर की विवादित आराजी पर दखलअंदाजी न करे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबंध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 10.01.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
18/9/[illegible]	निकालमीना [signature] Id.
17/01/25 पीठासीन [illegible]कारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। [illegible] दिनांक 23/01/25 को पेश हो। [signature] रीडर	नि [thumb impression] हीरालाल
23/1/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 7/2/25 को पेश हो। [signature] रीडर	
7/2/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 25/2/25 को पेश हो। [signature] रीडर	
25/2/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19/5/25 को पेश हो। [signature] रीडर	
25/08/25 पत्रावली बजाई तारीख से पेश। वकील वादी उप.। मूलवाद note press के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 R.T. Act की कार्यवाही बंद की जाती है। प्रकरण पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। [signature]	